Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to ensure timely payment of funds to beneficiaries under Pradhan Mantri Awas Yojana-laid.

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों को नया मकान बनाने हेतु सर्वे सूची अनुसार चिन्हित किया गया है वे हितग्राही इस योजना में अपने पुराने मकान तोड़कर या नए स्थान में मकान बना रहे हैं। एक से दो किश्त पश्चात राज्य सरकार द्वारा अपने मद की राशि (किश्तों) का भुगतान समय पर नहीं करने के कारण 40 से 50% मकान आधे-अधूरे व्यवस्था में हैं। हितग्राहियों द्वारा संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने पर राशि न होने की बात कहकर बैरंग वापस कर दिया जाता है। हितग्राही मकान न होने की दशा में प्लास्टिक या घास की झोपड़ी बनाकर अन्यत्र निकासित वर्षा, सर्दी और गर्मी की कठिनाइयों से गुजरता हुआ सपरिवार ठगा सा महसूस कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा योजना की राशि तो दी जा रही है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने मद की राशि को समय पर नहीं देने के कारण अधिकतम हितग्राहियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अत: सरकार से मेरी गुजारिश है कि अपूर्ण मकानों हेतु राज्य सरकार से समन्वय स्थापित कर अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाए।